पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 214/2014 1085 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
समस्तीपुर।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, समस्तीपुर।

पटना, दिनांक–29/8/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रर्ण सूचना सं0–02/2015–16 के ग्रुप सं0–01 के कार्य नगर परिषद, समस्तीपुर अन्तर्गत मगरदही परिसदन के निकट से सीमा कुमारी के घर के निकट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर का पत्रांक–548 दिनांक–10.05.2016 एवं पत्रांक–906 दिनांक–11.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं0 C.W.J.C No-13244/2016 के न्यायादेश के अनुपालन के आलोक में राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2015–16 के ग्रुप सं0–01 के कार्य नगर परिषद, समस्तीपुर अन्तर्गत मगरदही परिसदन के निकट से सीमा कुमारी के घर के निकट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड में सफल एकमात्र निविदाकार **श्री ओम प्रकाश कुमार** को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि **71,52,900/–(एकहत्तर लाख बावन हजार नौ सौ)** रूपये मात्र से **0.25%** कम अर्थात राशि **71,35,017/–(एकहत्तर लाख पैंतीस हजार सतरह)** रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।

एकरारनामा के पूर्व सभी कागजात से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा, समस्तीपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर सभी कागजात का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

निम्न निदेशों का पालन करते हुए एकरारनामा करेंगेः–

1. कार्य समाप्ति की अवधि **09 (नौ)** माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई हो तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।

7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तद्नुसार ही कार्य कराया जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी जाय।

8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।

9. प्रारम्भ बिन्दु से निकासी बिन्दु तक नाला का Slope निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।

10. विभिन्न कार्यों में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।

11. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईंट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।

12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।

13. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक है, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।

14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी
निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन
अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।